

विचार बिन्दु

नग्नता पत्थर को भी मौन कर देती है। -प्रेमचन्द

बुलडोजर जस्टिस अर्थात् न्याय का नया रूप

ए क युग था, जब आँख फोड़ने पर व्यक्ति को उसकी आँख फोड़ने की सजा दी जाती थी। Eye for Eye का युग था। बर्बरता का युग था। यों जान से मारने पर मृत्यु दण्ड यानी फांसी की सजा शायद आज भी बर्बरता के युग की निशानी मौजूद है। नया युग प्रारम्भ हुआ Universal Declaration of Human Rights, 1948 से। इसे और अधिक मानवीय बनाया अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 तथा उसके प्रोटोकॉल ने भारत इस संधि का हस्ताक्षर करवा है। इस संधि के पार्ट III के अनुच्छेद 6 में यह निर्देश है कि "Nothing in this article shall be invoked to delay or prevent the abolition of capital punishment by any State to the present covenant" इसका अर्थ है फांसी की सजा बन्द होना चाहिये और जब तक कानून से फांसी बन्द न हो, राष्ट्रपति अथवा गवर्नर को फांसी की सजा को Commutate करने का अधिकार संविधान में दिया है। इस बाबत प्रत्येक देश का ध्यान, Second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights dated July 11 1991 की ओर आकर्षित करना चाहेंगा। जहाँ पर मृत्यु दण्ड को समाप्त करने पर निर्देश है। Every State shall take all necessary measures to abolish the death penalty - Article 1(2)

इंग्लैण्ड में लगभग 100 वर्ष पूर्व महिला कर्मचारी की अथवा ब्रेड की चोरी पर फांसी की सजा का प्रावधान था। फांसी की सजा पब्लिक में दी जाती थी। एक बार फांसी की सजा की जो रिपोर्ट हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजी गई, उसमें यह उल्लेख किया गया कि जब फांसी की सजा दी जा रही थी उस समय कई लोगों की जेब कटी थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आदेश दिया कि चूँकि फांसी की सजा का कोई भय (डेटेन्ट असर) जनता पर नहीं है अतः उसे बन्द किया जावे। जब से वहाँ फांसी की सजा बन्द हो चुकी है।

ममला रैप के लिये फांसी की सजा के लिये विधान सभा में बिल लाने जा रही है। दुष्कर्म के दोषी को 10 दिन में फांसी दी जावेगी। प्रश्न है उपरोक्त संधि के संदर्भ में क्या ऐसा कानून हो सकता है? इसके अतिरिक्त कानून यह है कि केन्द्र से भिन्न राज्य का कानून नहीं हो सकता। वर्तमान युग मानव अधिकारों का है। भारत का अपना एक संविधान है। जिसमें यह घोषणा की गई है, यहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होंगे, जिन्हें Political Rights के रूप में समझा जाता है और सरकार का कर्तव्य होगा कि वह जनता को Social, Economical व Political न्याय दे। संविधान के चेप्टर III में मूल अधिकार व चेप्टर IV में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में उक्त घोषणा को स्पष्ट किया गया है।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार और स्टेट के कर्तव्य दिये हैं वे सब लगभग वही हैं जो मानव अधिकारों के नाम से जाने जाते हैं। मानव अधिकार कोर्ट्स में प्रवर्तनीय हैं अतः मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व स्टेट के कर्तव्य भी कोर्ट में प्रवर्तनीय हैं।

हमारे संविधान उपरोक्त वर्णित अन्तर्राष्ट्रीय संधि व UDHR सभी एक स्वर से घोषणा करते हैं कि "Everyone has the right to life, liberty and security of person" तथा "No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, the time when it was committed (UDHR, Article 13(2) and Article 15 of the International Covenant, 1966" वर्तमान में Unlawful Activities (Prevention) Act के PMLA केस देश की सुरक्षा, एकता और अखण्डता के लिये चुनौती बने हुये हैं। देश में महिलायें व बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बलाकार की घटनायें प्रतिदिन हो रही हैं, ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य ने शैतान का रूप धारण कर लिया है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है यहाँ रैप की 90 घटनायें प्रतिदिन होती हैं। कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ बलाकार और बाद में उसकी निर्मम हत्या ने देश को झकझोर दिया है। यह सच है देश ने ऐसे मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान कानून में दिया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है फांसी की सजा का कोई भी डेटेन्ट प्रभाव नहीं है।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जनता को त्वरित न्याय के रूप में 'बुलडोजर जस्टिस' के नाम से न्याय करने की इस नई प्रक्रिया प्रारम्भ की है। इसमें अपराध करने वाले व्यक्ति ने यदि मकान बिना अनुमति के बनाया है तो उसे नगरपालिका के कानून के तहत नोटिस देकर बुलडोजर से तोड़ा जाता है। बुलडोजर जस्टिस वस्तुतः न्याय की अभिव्यक्ति की व्यञ्जना है। जनता ने इसे पसन्द किया है।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जनता को त्वरित न्याय के रूप में 'बुलडोजर जस्टिस' के नाम से न्याय करने की इस नई प्रक्रिया प्रारम्भ की है। इसमें अपराध करने वाले व्यक्ति ने यदि मकान बिना अनुमति के बनाया है तो उसे नगरपालिका के कानून के तहत नोटिस देकर बुलडोजर से तोड़ा जाता है। बुलडोजर जस्टिस वस्तुतः न्याय की अभिव्यक्ति की व्यञ्जना है। जनता ने इसे पसन्द किया है।

अथवा अवैध रूप से अर्जित धन से सम्पत्ति बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उल्टे इद्दे में से ऐसे अवैध निर्माण को तोड़ने में कोई रोक नहीं लगाई है।

सन् 2020 में गंगा लीडर विकास दुधौ और इसी प्रकार एमएलए मुख्तार अंसारी के मकान पर जो बिना अनुमति के बना था बुलडोजर चलाया गया। एक मुस्लिम युवक को महाकाल के जुलूस पर थकने के फलस्वरूप उसे लगभग 6 माह लेने में रहना पड़ा, बाद में उसकी जमानत हाईकोर्ट ने दी। बुलडोजर जस्टिस की घटनायें दिल्ली की जहानगिरी, मध्यप्रदेश के खरगोन में, उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में हुईं जो अखबार की सुर्खियों में छाई रही। यहाँ जनता ने बुलडोजर जस्टिस का स्वागत किया तो कानून विशेषज्ञों ने इसे क्रूर, अवैध, अन्याय पूर्ण माना है। नूह (पंजाब) की घटना की तीव्र आलोचना की गई। जिन नेताओं ने इसका प्रारम्भ किया उन्हें 'बुलडोजर बाबा' अथवा 'बुलडोजर मामा' कहा गया है और कुछ दिन पूर्व ही रेवन्त रेड्डी को डिमोलिशन में कहा गया है।

बुलडोजर जस्टिस को जहाँ जनता ने धूम धाम से स्वीकार किया वहाँ ऐसी प्रक्रिया के विरुद्ध आलोचना भी की गई। कानून विद्वजनों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाओं में राज्य स्वयं जज, जुरी व Executor बन जाता है। अभियुक्त को बिना Fair Trial के सजा नहीं दी जा सकती। बुलडोजर जस्टिस को Rule of Law व जस्टिस सिस्टम की चुनौती बतलाया।

सभी राज्यों में नगर पालिकायें हैं और नगर पालिकायें अधिनियम है। ये नगर पालिकायें Institution of Self government के रूप में कार्य करती हैं। इनका कार्य संविधान के पार्ट XI के अनुरूप होता है। कानून के अनुसार प्रत्येक नागरिक को मकान बनाने के लिये अनुमति लेनी होती है। जो नागरिक बिना अनुमति के निर्माण करते हैं उनका मकान कारण बताओ नोटिस देने के बाद तोड़ा जा सकता है। योगी ने कहा था, नोटिस देने के बाद ही बुलडोजर चलाया जाता है। अपराध घटित होता है, उसके लिये आरोपी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलता है, ट्रायल में समय लगता है। ऐसे व्यक्ति ने यदि मकान बिना अनुमति के बनाया है तो उस मकान को तोड़ा जा सकता है। फौजदारी मुकदमा तय होने में समय लगना। मकान तोड़ने की प्रक्रिया शीघ्र की जा सकती है। इस प्रक्रिया को पूर्णरूप से कानूनानुसार किया जा सकता है। मकान तोड़ने से पहले 'शो कोज नोटिस' भेजा जावे आरोपी को सुना जावे और बाद मकान पर बुलडोजर चलाया जावे। जनता ने बुलडोजर जस्टिस को अंगीकार किया है, अवैध निर्माण को तोड़ने पर जश्न मनाया है। इसे त्वरित न्याय का अर्थात् त्वरित सजा देना मानना चाहिये। जो अपराध हुआ है उसकी सजा तो उसे अलग से मिलेगी। बुलडोजर जस्टिस तो जनता द्वारा दिया गया अतिरिक्त न्याय है।

बुलडोजर जस्टिस अर्थात् बुलडोजर द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही विधि के अनुसार नोटिस देकर की जानी चाहिये। आरोप के आधार बुलडोजर चलाना गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 2.9.2024 की कार्यवाही में कहा है।

महिलाओं व छोटी उम्र की अर्धवय बालिकाओं के साथ बलाकार करने और बाद में निर्मम कत्ल करने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं, जिनके लिये संसद के कानून में फांसी की आजन्म कारावास की सजा का प्रावधान है, फिर भी इसका डेटेन्ट (निरोधक) असर नहीं है, ऐसी स्थिति में दण्ड देने के प्रावधान को कोई आंच नहीं पहुँचाये, यदि जनता की पीड़ा को कुछ कम करने के लिये बुलडोजर जस्टिस की कार्यवाही की जाती है तो इसमें आपत्ति क्यों? जनहित में मृतक के परिजनों की पीड़ा हरने वाला बुलडोजर जस्टिस एक सशक्त मलहम ही तो है। उपरोक्त संधि के अनुसार यदि मृत्यु दण्ड दिया जाना अमानवीय है तो सर्वोच्च न्यायालय ने वैकल्पिक सजा क्या होगी, इस पर निर्णय देना है अथवा संसद को कानून बनाना होगा।

बलाकारी, भ्रष्टाचारी, सार्वजनिक सम्पत्ति की तोड़फोड़ करने और हिंसा की गतिविधियों में लिप्त देश के नागरिक समाज के दुश्मन हैं। जो व्यक्ति (नागरिक) अनुच्छेद 5.1 क में दिये गये कर्तव्यों की पालना नहीं करता है, वे अधिकार समाप्त करने चाहिये, जो संविधान उसे देता है। ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिये। उनकी सम्पत्ति भी जब्त की जावे। ऐसे व्यक्ति ने यदि अपना घर बिना अनुमति के बनाया है तो उसे कानून की प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय की पालना करते हुये, बुलडोजर से तोड़ा जा सकता है। जो अपराध उसने किया है, उसकी सजा तो देश का न्यायालय देगा ही, किन्तु न्याय हो रहा है, इसे अभिव्यक्ति देने के हेतु बुलडोजर जस्टिस दिया जावे। यह त्वरित न्याय जनता के गुस्से को शान्त करेगा। राज्य सरकार, नगरपालिका अथवा पंचायत यह न्याय दे सकती है, ऐसा करना अपराध नहीं है।

बुलडोजर न्याय के विरुद्ध एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई हेतु प्रेषित हुई है, आशा की जा सकती है कि माननीय न्यायालय इस बाबत निर्देशनों की संहिता जारी करे जैसे विशाका के केस में भी दी गई थी। त्वरित न्याय समय की पुकार है, दुष्कर्म Unlawful Activities Prevention Act व मनी लॉन्ड्रिंग कानून आदि के केसों का निर्णय 6 माह में हो। इनकी प्रक्रिया सरल हो। "भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं - राष्ट्रपति मुर्मू"

-अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

पेपर लीक-पेपर लीक, शोर घणा-सत्ता के आकांक्षी दलों के पास, समाधान के नाम पर ठनठन गोपाल



महावीर सिंह

23-11-2023 को राष्ट्रपति के उपरोक्त टाइटल से एक लेख छपा था वह समय चुनाव का था। वर्तमान शासक दल और वर्तमान विपक्ष सत्ता प्राप्त के लिए हर प्रकार के जुमले, आश्वासन उछाल रहे थे। तत् समय वर्तमान शासकीय दल के पास एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस हर प्रकार के स्पष्टीकरण दे रही थी, को गई कठोर कार्यवाही, गिरफ्तारियों की, कानून में बदलाव की बातें छाती फुला-फुला कर भाषणों में

कह रही थी।

उस समय भी इस लेखक का आकलन था कि दोनों ही पार्टियों के पास समस्या की जड़ का समाधान शायद ही हो। जो भी पार्टी सत्ता में आणी केवल कुछ गिरफ्तारियाँ आदि करके इस समस्या के समाधान की इतिश्री मान लेगी। अब मैं पुराने लेख के कुछ अंशों का उल्लेख करूँगा:-

1. प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपरों के लीक पर, अपने-अपने पक्ष में, 25 नवम्बर, 23 को मतदान के लिए अपील करने वाली दोनों बड़ी पार्टियों ने कोई मानने योग्य संतोषप्रद समाधान नहीं बताया।

2. परीक्षाओं में और विशेषतः प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से हजारों हजार नौजवान दुष्भावित होते हैं। सरकारों के पास विधान सभाओं में बहुमत होता है जो सजा दिलाएँ। जो पर सजा सजा देने के कानून का लोलीपोप पकड़ा दिया जाता है। ज्यादा शोर हुआ तो एस आई टी के गठन की घोषणा कर दी जाती है।

3. इस प्रकार के कदमों से दोषी,

अगर सफ़ारसी नहीं हुआ तो देर-सवेर उसे सजा भी मिल जाएगी। किसी-किसी का घर बुलडोजर चला कर ढहा दिया जाएगा। किन्तु इस से लाखों लोग जो एक सरकारी नौकरी की आशा में परीक्षाओं में बैठे थे, उन्हें न्याय मिल जाएगा?

4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसी संस्थाओं से पेपर लीक जाते हैं तो मजदूरों को और है व दवा कुछ और दी जा रही है। इन संस्थाओं के पेपर सामान्य परिस्थितियों में तब लीक तक नहीं हो सकते जब तक इन संस्थाओं के शीर्ष अधिकारी व सरकार द्वारा लगाए अध्यक्ष, सदस्यों की मिली भगत अथवा अक्षय निष्क्रियता अथवा पूर्णतः अयोग्यता न हो।

25 नवम्बर को वोट की देने की आकांक्षा रखने वाली किसी पार्टी में यह नहीं बताया कि इन संस्थाओं में होने वाली नियुक्तियों को कैसे पारदर्शी व पूर्णतः योग्यता के अधनर पर लगाए जाएँगे।

5. होता यह है कि जो भी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के प्रभावशाली मंत्री अपने मर्जिदानीं को इन पदों पर पारदर्शिता और योग्यता के पैमानों को पूर्णतः धत्ता बताते

हुए लगाते हैं। पिछले 5, 10 साल में जो सदस्य-अध्यक्ष आदि लगे हैं, उन पर विचार करले यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा।

सुझाव जो दिए गए सरकार:- सरकार चाहे तो इन नियुक्तियों में पारदर्शिता व योग्यता लाई जा सकती जो बशर्तें सरकार में निर्णय करने वाले अपने अयोग्य मर्जिदानीं को थोपने का ईमानदारी से मोह त्यागे।

इसके लिए प्रथम काम होगा- नियुक्ति से पहले विभिन्न सरकार महकमों से, स्वायत्तशासी संस्थाओं से, रैपुटेड प्राइवेट संस्थाओं से अनुभवी, योग्य, ईमानदार लोगों के नाम एकत्र करें। इस प्रकार जो भी नाम आएँ उनको सार्वजनिक कर, जनता से राय मांगी जाए कि इन लोगों के विरुद्ध चरित्र, निष्ठा आदि से सम्बंधित कोई प्रतिकूल जानकारी हो तो बताएँ। इस प्रकार जो कोई दूसरी अच्छी बेहतर प्रक्रिया सरकार के मंत्रीगण, आला अफसरान सरकार के सामने रखें तो उसे अपनाया जाए।


इसके पश्चात एक हाईपावर कमेटी इनमें से 20-30 नामों को शॉर्टलिस्ट करे और मंत्री मंडल के समक्ष रखे।

अंत में बात उचित लगती है कि कि विश्वसनीयता पूर्णतः खत्म हो गई है। इसे तत्काल भंग किया जाए। नवयुवकों-युवतियों में विश्वास जगाने के लिए एक जोर का दायर कुछ बढ़ाएं। अन्य दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ क्यों न कि जाए? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक पूर्व अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर ही काम की इतिश्री क्यों मान ली?

उनसे व अन्य सल्लिप्त सदस्यों, अधिकारियों व काम में लगे कर्मियों से गम्भीर पूछताछ की जाए और पेपर लीक के घिनोने कृत्य में लगे सारे लोगों को सजा मिले। वैसे अजमेर की गलियों में आम चर्चा रहती है कि इन संस्थाओं में कैसे-कैसे ब्या-ब्या सेटिंग्स होती हैं? सारी बातें सही न हों, किन्तु जांच के कुछ न कुछ लीड तो मिल ही सकती है। इन में से नियुक्ति हो। 100 प्रतिशत पेपर लीक रुकने की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता किन्तु ऐसी बहुत ही कम कदमों आये होंगे और मिलिभगत कर पेपर लीक के शक को सुई-संस्थाओं की तरफ नहीं घुमेंगी।

-महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

हिन्दू-मुसलमानों की एकता के प्रतीक एवं वंचित समाज के मसीहा "लोक देवता रामसापीर"



डॉ. जे. के. गर्ग

विक्रम संवत् 1409 की भादवा शुक्ल द्वादश के दिन प्रसिद्ध रामस्थान के पोकरण शहर के नजदीक रणिका नामक स्थान के शासक अजमल के घर बाबा रामदेव का अवतार हुआ था। रामस्थान के जन जन के मसीहा पांच पीरों में बाबा रामसा पीर का प्रमुख स्थान है। बाबा रामदेव तंत्र राजपूत थे जिसे मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक राजा अजमल ने पुत्र प्राप्ति हेतु दान पुण्य और अनेकों यज्ञ किया। द्वारकाजी में अजमल जी को भगवान के साक्षात् दर्शन हुए तब राजा अजमल ने उनसे उनके घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने की याचना की तब भगवान द्वारकानाथ ने राजा अजमल से कहा- 'मैं तुम्हे वचन देता हूँ कि तुम्हारा पहला बेटा वीरमदेव होगा और दूसरे बेटे के रूप में मैं खुद तुम्हारे आपके घर आउंगा।'

भगवान ने यह भी कहा कि- 'जब मैं अवतरित होऊंगा तब उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर हैं उसमें घंटियाँ अपने आप बजने लग जायेंगी,

महल में जो भी पानी होगा वह दूध में बदल जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पीर नजर आयेंगे वहीं आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं रामदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा।' कहा जाता है कि श्री रामदेव जी के जन्म लेते ही ऐसी सभी चमत्कारिक घटनाएँ घटित हुईं। समय के साथ-साथ बाबा रामदेव जी की प्रसिद्धि भारतवर्ष के साथ दुनिया के अनेकों देशों में फैल गई। बाबा रामदेव जी से प्रभावित होकर उस समय के हजारों हिन्दू जो मुसलमान बन गये थे पुनः हिन्दू धर्म में परिवर्तित होने लगे।

रामदेव जी के चमत्कार की अद्भुत घटनायें हैं। लोकदेवता रामदेव जी के चमत्कारी परचे प्रचलित है। जन-जन के सेवक और उनके कष्टों को मिटाने वाले रामसापीर रामदेवजी ने राजा बनकर नहीं अपितु जनसेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों व जरूरतमंदों को हर सम्भव से सहायता और सेवा की। उनकी दया के पात्र हिन्दुओं के साथ मुस्लिम भी होते थे। इतिहासकार मुहंता नैनसि के मारवाड़ रा परगना री विगत नामक ग्रंथ में एक अद्भुत घटना का उल्लेख किया था, जिसके अनुसार पोकरण के अंदर नरभक्षी राक्षस भैरव ने आतंक मचा रखा था। बाबा के गुरु बालीनाथ जी के तप से यह राक्षस डरता था, किंतु फिर भी इसने इस क्षेत्र को जीवहर्षित कर दिया था। अंत में बाबा रामदेवजी बालीनाथजी के धूण में गुदड़ी में छुकर बँट गए। जब भैरव राक्षस

आया और उसने गुदड़ी खींची तब अवतारी रामदेवजी को देखकर वह अपनी पीठ दिखाकर भागने लगा और कैलाश टेकरी के पास गुफा में जा चुसा। रामदेवजी ने घोड़े पर बैठ उसका वध कर दिया।

रानी नेतल को पचाँ दिया था। सिरोंही निवासी एक अंधे साधु को परचादिया था। रामापीर का प्रसिद्ध मेला उत्तर भारत में धूमधाम मारनेवाले के साथ हर साल दस दिन भाद्रपद शुक्ल 2 से भाद्रपद शुक्ल 11 तक मनाया जाता है। इस वर्ष यह मेला 5 से 13 सितंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। रामस्थान से भी नहीं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। रामदेवजी मेला में हजारों भक्त दूर-दूर से बड़े-बड़े समूहों में नाचते गाते, भजन-कीर्तन करते हुये पैदल, बसों, कारों, बेलगाड़ियों, ट्रेक्टर या अन्य साधनों से आते हैं। मुसलमानों के मसीहा लोक देवता रामदेव जी रामदेव पीर, रामसा पीर, के नामों से जाने जाते हैं।

निसंदेह रामदेवजी का मन्दिर हिन्दू और मुसलमानों की आस्था का केंद्र है और हिन्दुस्तान की गंगा-जमुना साँझा संस्कृति की अद्भुत मिशाल पेश करता है। इस पवित्र जंगम को सांप्रदायिक सद्व्यवस्था स्थल भी कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विक्रम संवत् 1409 की भादवा शुक्ल द्वादश के दिन पवित्र रामस्थान के पोकरण शहर के नजदीक रणिका नामक स्थान के शासक अजमल के घर बाबा रामदेव का अवतार हुआ था। रामस्थान के जन

जन के मसीहा पांच पीरों में बाबा रामसा पीर का प्रमुख स्थान है। बाबा रामदेव तंत्र राजपूत थे जिसे मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है।

संवत् 1442 में अपने हाथ में श्रीकल लीकर अपने सारे बुजुर्गों को प्रणाम किया, सभी उपस्थित भक्तों ने पत्र पुण्य चढ़ाकर रामदेव जी का श्रद्धा से अन्तिम पुजन किया। रामदेव जी के समाधी में खड़े होकर सब के प्रति अपने अन्तिम उपदेश देते हुए कहा कि माह की शुक्ल पक्ष की द्वादश के दिन पटना, भजन कीर्तन करके पंचोत्सव मनाया, रात्रि जगण करना। प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अनर्थाय समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्तर पर मेला लगेगा। मेरे समाधी पुजन में किसी से भेदभाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा। ऐसा कहकर रामदेव जी महाजान ने समाधि ले ली। रामदेव मन्दिर मंदिर के समीप ही स्वयं रामदेव जी द्वारा खुदवाई गई परचा बावड़ी अपनी स्थापत्य कला में बेजोड़ है। इस बावड़ी का निर्माण फाल्गुन सुदी तृतीया विक्रम संवत् 1897 को पूर्ण हुआ। बावड़ी का निर्माण रामदेव जी के कहने पर बाणिया युवावत ने करवाया था। इस बावड़ी का जल रामदेवजी का अभिषेक करने के काम में लाया जाता है। रामदेव मंदिर बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने रामदेवजी के वर्तमान मंदिर का निर्माण सन् 1939 में करवाया था, उस वक्त इसके निर्माण पर 57 हजार रुपये व्यय हुए थे। रामदेव मंदिर अपने आप

में अनेक है क्योंकि यहाँ बाबा रामदेव की मूर्ति भी है और मजार भी। रामदेव मंदिर में आस पास के श्रद्धालुओं के साथ-साथ राजस्थान के दूरदराज एवं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आदि प्रान्तों के हजारों श्रद्धालु भी आते हैं। पैदल यात्रियों के समूह मेले के दिन से बहुत पहले से बाबा की जयकार करते हुये, भजन कीर्तन करते हुए बाबा के दर्शन करने और मनोती मांगने पहुंचते हैं। यहाँ मंदिर में नारियल, पुजन सामग्री और प्रसाद की भेंट चढाई जाती है। मेले के दौरान बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए चार से पांच किलोमीटर लंबी कतारें लगती हैं। निरन्तर दम्पति कामना से अनेक अनुष्ठान करते हैं तो मनोती पूरी होने वाले बच्चों का झुल्ला उतारते हैं और सवामणी करते हैं। रोगी रोगमुक्त होने की आशा करते हैं तो दुःखी आत्माएँ सुख प्राप्ति की कामना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सैकड़ों श्रद्धालु पहले जोधपुर में बाबा के गुरु हिन्दुस्तान पहाड़ी स्थित मंदिर में भी दर्शन करना नहीं भूलते हैं और उसके बाद जैसलमेर की तरफ रामदेव मन्दिर की तरफ कूच करते हैं। बहुत से लोग रामदेव मं मन्नत भी मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर कपड़े का घोड़ा बनाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। निसंदेह रामदेवजी का मन्दिर हिन्दू और मुसलमानों की आस्था का केंद्र है और हिन्दुस्तान की साँझा संस्कृति की मिशाल पेश करता है।

-डॉ. जे.के. गर्ग,

पूर्व संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा जयपुर

पानी को लेकर महिलाओं ने जाम लगाया

पाटन, (निर्स)। कस्बे के वार्ड नंबर चार में कई दिनों से चल रही पेयजल किल्लत को लेकर परेशान महिलाओं ने गुरुवार को राजकीय अस्पताल के सामने पाटन-डाबला रोड पर जाम लगा दिया। सड़क पर बैठी महिलाएँ विरोध प्रदर्शन कर पीने के पानी की मांग कर रही थी। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

महिलाओं का कहना है कि हमारे यहाँ पानी की पाइप लाइन नहीं डाली गई है, जिस कारण पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पूर्व भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर पाटन सरपंच ने पेयजल की समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक समस्या का

महिलाओं ने कहा है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।

समाधान नहीं हुआ है। मजबूरन हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पाटन सरपंच मनोज चौधरी ने बताया कि वार्ड नंबर चार में पानी की पाइप लाइन डलवा दी गई है। उसको चालू भी कर दिया है, लेकिन कुछ घरों में पानी नहीं पहुंच पाया वहाँ भी जल्द ही व्यवस्था करवा देंगे।



पेयजल किल्लत को लेकर परेशान महिलाओं ने पाटन-डाबला रोड पर जाम लगा दिया।

राशिफल शुक्रवार 6 सितम्बर, 2024



पंडित अनिल शर्मा

आज राजयोग दिन 9:25 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 4:20 से आरम्भ होगी। आज हरितालिका तीज, व्रत, मन्वादि, रोट तीज (दिगम्बर जैन), वराह जयन्ती है। आज कलंक चतुर्थी है। आज चन्द्र दर्शन निषेध है। चन्द्रस्त जयपुर में रात्रि 8:26 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:45 तक, लाभ-अमृत 7:45 से 10:32 तक, शुभ 12:25 से 13:58 तक, चर 5:05 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:12, सूर्यास्त 6:38

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, हस्त नक्षत्र प्रातः 9:25 तक, शुक्ल योग रात्रि 10:15 तक, गर करण दिन 3:02 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 11:01 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मिथुन, बुध-कुम्भ, राहु-मौन, केतु-कन्या राशि में।

आज आवश्यक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:45 तक, लाभ-अमृत 7:45 से 10:32 तक, शुभ 12:25 से 13:58 तक, चर 5:05 से सूर्यास्त तक।

मेघ परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। अतिथियों का आगमन हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागवद्ध रहेगी।

कर्क व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है। नौकरोंपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह नौकरोंपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। व्यावसायिक संबंध बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संधावित धन प्राप्त होगा। आर्थिक कार्यों से अटक हुए कार्य बने लेंगे।

कन्या आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागवद्ध बनी रहेगी। नौकरोंपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

वृश्चिक आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लेंगी।

धनु व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में चल रहे मतभेद दूर होने लेंगे।

मकर व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बने लेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशासन प्राप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कुंभ अपनी कार्य योजना को आज सीमित करें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विवश हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मीन परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।